

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ. पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 196/20 प्रा०पत्र

1- श्री धर्मचंद्र सोहन माली निवासी- बागोर तहसील- गाण्डल

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोरधन सोहन माली निवासी- बावलास तहसील- गाण्डल [कोरा]
(सिद्धांत प्रा०पत्र संलग्न)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 27.07.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं: 951/2 कुल कित्ता 01 रकबा - बीघा 0.5 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.11.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं: 951/2 कुल कित्ता 01 रकबा - बीघा 0.5 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चंद्रास को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

प्रतिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-7-21	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली ऊँसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा</p>	